

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 10.11.2020

थाना कलान पुलिस द्वारा दो शातिर जालसाज गिरफ्तार ।

भारतीय मानवाधिकार मोर्चा का आईडी कार्ड सहित, कारपिस्टल , नगदी आदि बरामद ।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री ब्रह्मपाल सिंह क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन मे अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कलान पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 09.11.2020 थाना कलान पुलिस टीम द्वारा भोला ढाबा पर दो शातिर जालसाज अभियुक्तगण 1. रणविजय सिंह 2. दिग्विजय सिंह को 19.00 बजे गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तों द्वारा ढाबा मालिक को भारतीय मानवाधिकार मोर्चा का कार्ड दिखाकर पचास हजार रुपये की मांग की गयी तथा मांग पूरी न होने पर ढाबा मालिक पिन्टू गुप्ता को पिस्टल व नाजायज चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गयी थी । अभियुक्त रणविजय सिंह उपरोक्त के कब्जे से एक अदद लाईसेंसी फैक्ट्री निर्मित पिस्टल 32 बोर मय 52 जिन्दा कारतूस 32 बोर ,4460 रुपये नगद व भारतीय मानवाधिकार मोर्चा का आईडी कार्ड आदि तथा अभियुक्त दिग्विजय सिंह उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया । इस सम्बन्ध मे थाना कलान पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. रणविजय सिंह पुत्र स्व० बृजपाल सिंह निवासी 178 सद्भावना कालोनी काधारपुर उमरसिया थाना केन्ट जिला बरेली
2. दिग्विजय सिंह पुत्र बृजपाल सिंह निवासी व पोस्ट वाहरिया थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी:-

1. एक कार मारुती सुजुकी सलेरियो रजि० नं० UP 25CA 9431 सफेद कलर की
2. एक अदद लाईसेंसी फैक्ट्री निर्मित पिस्टल 32 बोर मय 52 जिन्दा कारतूस 32 बोर
3. 4460 रुपये नगद व भारतीय मानवाधिकार मोर्चा का आईडी कार्ड, मोबाइल, ATM आदि ।
4. एक अदद नाजायज चाकू ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु०अ०सं० 500/20 धारा 420/386/506 भादवि थाना कलान शाहजहाँपुर
2. मु०अ०सं० 501/20 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना कलान शाहजहाँपुर
3. मु०अ०सं० 502/20 धारा 30 आयुध अधि० थाना कलान शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह थाना कलान शाहजहाँपुर ।
2. उ०नि० मो० आरिफ थाना कलान शाहजहाँपुर ।
3. कां० 1835 ब्रजवीर सिंह थाना कलान शाहजहाँपुर ।
4. कां० 1234 अनुज कुमार थाना कलान शाहजहाँपुर ।
5. कां० चालक जगतवीर सिंह थाना कलान शाहजहाँपुर ।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा जनता के व्यक्ति को डरा धमकाकर उद्घापन करना तथा अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद लाईसेंसी फैक्ट्री निर्मित पिस्टल 32 बोर मय 52 जिन्दा कारतूस 32 बोर ,4460 रुपये नगद व भारतीय मानवाधिकार मोर्चा का आईडी कार्ड आदि तथा एक अदद नाजायज चाकू, पिस्टल व कारतूस बरामद होना ।